



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 906 / SEIAA/2022

Date: 28/6/22

प्रति,

श्री यज्ञ जाट,
आत्मज श्री कैलाश जाट,
निवासी 107 /1 त्रिमूर्तिनगर,
तहसील एवं जिला धार (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 9139 /2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञ जाट आत्मज श्री कैलाश जाट, निवासी 107 /1 त्रिमूर्तिनगर, तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 968 पैकी रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम करेली तहसील सरदारपुर जिला धार के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 733 वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

".....SEAC की अनुशंसा एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 100 मीटर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने तथा खनन क्षेत्र एवं उसके आस- पास के क्षेत्र में वाटर शेड कार्यक्रम के दृष्टिगत कंटूर ट्रेंच निर्मित होना परिलक्षित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान में परिलक्षित हो रही पर्यावरणीय संवेदनशीलता - औद्योगिक क्षेत्र बावत् एवं वाटर शेड कार्यक्रम हेतु निर्मित कंटूर ट्रेंच को देखते हुए कलेक्टर धार से वास्तविक स्थिति एवं स्पष्ट अभिमत कि ऐसी स्थिति में क्या खदान का संचालन किया जाना उचित होगा अथवा नहीं 15 दिवस में प्राप्त किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं स्वीकृत खनन क्षेत्र में पूर्व से निर्मित जल संरचनाओं के संरक्षण के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण निरस्त किया जाता है।



% (विकास मिश्रा) 28/6/22
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 907 /SEIAA/2022

दिनांक - 28/6/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - धार (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - धार (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल- 462016
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - धार (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।


% (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी